प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.05.2026

स्वाट टीम ट्रांसहिण्डन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, स्नैचिंग की घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तारी / पुलिस मुठभेड़ का विवरणः– थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र मे हुई स्नैचिंग व लूट की घटनाओ के अनावरण व अपराध की रोकथाम हेतु उच्चाधिकारीगणो के निर्देशन व कुशल पर्यवेक्षण मे स्नैचिंग व लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु आज दिनांक 30/01.05.2026 की रात्रि को स्वाट टीम ट्रांसहिण्डन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सेक्टर-1 वंसुधरा टी प्वाइंट पर चैंकिंग की जा रही थी तभी एक मो0सा0 पर सवार व्यक्ति को आता हुआ देखकर पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया परन्तु मो0सा0 सवार व्यक्ति नही रुका तथा मो0सा0 को तेजी से मोड़कर सेक्टर 2ए ग्राउंड की ओर भागने लगा, तभी पुलिस द्वारा पीछा करने पर पुलिस से बचकर भागने की जल्दी व हडबडाहट में ग्राउंड मे गढ्ढे व बारिश का पानी होने के कारण फिसलन की वजह से,मोटरसाइकिल डिसबैलेंस होकर वही पर फिसलकर गिर गई उस व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस से घिरा देखकर खुद को पुलिस के हवाले करने के बजाय अपने पास लिए तमंचे से पुलिस वालों को निशाना बनाकर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिससे पुलिस पार्टी मे शामिल लोग बाल बाल बचे पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही मे अपने जान माल की सुरक्षा हेतु पुलिस टीम द्वारा अपने आप को बचाते हुए पुलिस पार्टी द्वारा अपनी सरकारी पिस्टल से सिखलाए हुए तरीके से बदमाश की तरफ एक राउण्ड फायर किया जिससे बदमाश जाबिर उर्फ जावेद हसन पुत्र साबिर निवासी ग्राम लखौरी जलालपुर थाना नखासा जिला संभल उ0प्र0 उम्र करीब 25 वर्ष के पैर मे गोली लगी जिससे बदमाश घायल होकर नीचे गिर गया पुलिस टीम द्वारा बदमाश के कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, स्नैचिंग की घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त ने दिनांक 22.04.2026 को अपने अन्य साथी के साथ मिलकर इसी मोटर साइकिल से वंसुधरा से सुबह के समय एक आदमी के गले से झपट्टा मारकर चैन छीनी थी , जिसे मेरे साथी ने मेरठ में कही बेच दिया था तथा कुछ पैसे मुझे भी दिये थे जिसे मैने शौक मौज मे इधर-उधर खर्च कर दिये थे। आज मैं फिर घटना करने की फिराक में आया था कि आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

जाबिर उर्फ जावेद हसन पुत्र साबिर निवासी ग्राम लखौरी जलालपुर थाना नखासा जिला संभल उ0प्र0 उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, स्नैचिंग की घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त जाबिर उर्फ जावेद हसन उपरोक्त के विरुद्ध गाजियाबाद में स्नैचिंग, चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने , एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 04 अभियोग व जनपद सम्भल में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

स्वाट टीम ट्रांसहिण्डन व थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में 01 लुटेरा घायल अवस्था में गिरफ्तार व कब्जे से 01 देशी तंमचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर, व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा अपराध में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 01.05.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा लूट एवं स्नैचिंग के अभियोगों के अनावरण व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व लूट – स्नैचिंग की घटनाओं की रोकथाम हेतु डीएवी कट पर संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की संघन चेकिंग की जा रही थी चैकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति एक मोटर साइकिल पर डीएलएफ की तरफ से आते दिखाई दिए। जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो नही रुके बल्कि पीछे मुड कर प्रेम गली सूनसान रास्ते की तरफ भागने लगे । हडवडाहट के कारण बदमाशो की मोटरसाईकिल अनियंत्रित होकर फिसलकर कूडे के पास गिर गयी तो दोनो व्यक्ति अपने आप को पुलिस टीम से घिरता देख मोटरसाइकिल छोडकर भागने लगे। एक बदमाश भागने मे सफल रहा व दूसरा बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में उक्त बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी हैं तत्काल ही उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा साहस का परिचय देते घायल बदमाश को हिरासत में ले लिया गया जिसने अपना गौरव उर्फ कुवैर पुत्र दिलीप निवासी गरिमा गार्डन एयर पोर्ट वाली गली शिव मन्दिर के पास पसौडा थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष बताया। पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया। अभि0 गौरव उर्फ कुवैर के पास से एक अदद अदद चोरी की होन्डा साईन मोटरसाइकिल तथा मुठभेड में प्रयुक्त 01 देशी तंमचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर, व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है । बरामद मोटर साइकिल थाना शालीमार गार्डन पर मु0अ0सं0 142/26 धारा 303(2) बीएनएस वादी श्री मुकेश गिल द्वारा दिनांक 15.04.2026 को पंजीकृत कराया गया है। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा मुठभेड के सम्बंध में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण:- अभियुक्त गौरव उेफ कुवैर से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि भागे हुए अभयुक्त का नाम पप्पू निवासी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड गा0बाद है ये दोनो शालीमार गार्डन व साहिवाबाद, लिकंरोड व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र मे लूट व स्नेचिग की घटनाए वाहन व स्थान बदल बदलकर सुबह मार्निग वाक करने वाले लोगो को टारगेट करके कारित करते हैं। चोरी व स्नैचिंग की घटनाएं करने के लिए चोरी किये गये वाहन स्कूटी/मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं तथा लोगों को डराने व अपनी रक्षा के अवैध असलहों के प्रयोग करते हैं। अभि0 गौरव उर्फ कुवैर उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 15/04/2026 को दिन में शालीमार गार्डन एक्स 1 हम दोनों ने ही चोरी की थी। उस दिन मेरा साथी पप्पू भी मेरे साथ था। आज भी हम दोनों किसी सोफ्ट टारगेट की तलाश में थे।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पता:-

1. गौरव उर्फ कुवैर पुत्र दिलीप निवासी गरिमा गार्डन एयर पोर्ट वाली गली शिव मन्दिर के पास पसौडा थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष
2. पप्पू निवासी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड गा0बाद - फरार

बरामदगी का विवरण:-

1. 1 देशी तंमचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर, व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. एक मो0सा0 होन्डा साईन रंग नीला

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 142/2026 धारा 303(2) BNS थाना शालीमार गार्डन
2. मु0अ0सं0 160/2026 धारा 109(1) ,317(2) BNS व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना शालीमार गार्डन
3. मु0अ0सं0 335/22 धारा 60/63 आवकारी अधि0 थाना लिकंरोड
4. मु0अ0सं0 384/22 धारा 304 ,34 BNS थाना लिकंरोड
5. मु0अ0सं0 404/22 धारा 380/411/227/457 भादवि थाना लिंकरोड
6. मु0अ0सं0 410/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लिंक रोड S

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना विजय नगर पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित/फरार चले रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार

आज दिनांक 01.05.2026 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम द्वारा थाना विजयनगर पर पंजीकृत मुकदमा धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित/फरार चल रहे अभियुक्त शकील पुत्र खलील निवासी कैला खेड़ा सादिक की पुलिया थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद को लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर सादिक की पुलिया विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता –

शकील पुत्र खलील निवासी कैला खेड़ा सादिक की पुलिया थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि सर मैं कुछ लोगो के चक्कर में आकर गलत संगत में पड़ गया था। हम लोग मिलकर एनसीआर क्षेत्रों में चोरी , स्नैचिंग की घटना कारित करता थे और चोरी व स्नैचिंग के सामान को बेचकर जो पैसा मिलता था। उसे आपस में बाट लेते थे।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास: –

अभियुक्त शकील उपरोक्त पर -   03 अभियोग चोरी से सम्बन्धित कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना विजयनगर पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा स्नैचिंग करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चैन के 02 टुकड़े (पीली धातु), 02 मोबाइल, नगदी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

घटना का विवरण

दिनांक 14.04.2026 को वादिया नीशू पुत्री स्व. रोहित कुमार (निवासी: के.ए. कर्पूरीपुरम, गोविंदपुरम, थाना कविनगर, गाजियाबाद) ने तहरीर दी कि अज्ञात लड़कों ने उनके गले से सोने की चैन झपट ली है। घटना का संज्ञान लेते हुए थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण--घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गई। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और लोकल इनपुट की मदद से, मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 01.05.2026 को थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा **वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चौराहे (गोविंदपुरम चौकी क्षेत्र)** के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

1. **हैप्पी** पुत्र देशराज (उम्र 25 वर्ष), निवासी: ग्राम भायपुर, थाना जसराना, फिरोजाबाद। हाल पता: मिसलगढ़ी, थाना मसूरी, गाजियाबाद।
2. **देवेश** पुत्र मुनेश (उम्र 20 वर्ष), निवासी: ग्राम आरती, थाना सादाबाद, हाथरस। हाल पता: मिसलगढ़ी, थाना मसूरी, गाजियाबाद।

अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण---पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि बरामद मोबाइल फोन उन्होंने झपट्टा मारकर छीने थे (स्थान अज्ञात)। बरामद पीली धातु (चैन के टुकड़े) के संबंध में उन्होंने बताया कि लगभग 15-16 दिन पहले रात के समय उन्होंने **सीएनजी पंप, गोविंदपुरम** के पास एक महिला की चैन झपटी थी। झपटते समय चैन टूट गई थी; उसका एक छोटा टुकड़ा कहीं गिर गया था, जबकि बड़े हिस्से के उन्होंने दो टुकड़े कर लिए थे। वे इन टुकड़ों को बेचने की फिराक में थे।

बरामदगी का विवरण

- **मोबाइल:** 02
- **पीली धातु (चैन के टुकड़े):** 02
- **नगदी:** 2600 रुपये
- **वाहन:** 01 TVS मोटरसाइकिल (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली टीम---

थाना कविनगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 01.05.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1.चन्दन उर्फ पऊआ पुत्र संजीत शर्मा निवासी सिल्वर सिटी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 2. मंजेश पुत्र रामप्रकाश मेहतो मूल निवासी ग्राम तैगरा थाना तैगरा जिला बेगूसराय बिहार हाल पता निशान्त कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से आदर्श नगर, दिल्ली से चोरी की गई 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारे पास से जो मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं वह हमने आदर्श नगर, दिल्ली से चोरी की थी। आज हम इस मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.चन्दन उर्फ पऊआ पुत्र संजीत शर्मा निवासी सिल्वर सिटी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।
2. मंजेश पुत्र रामप्रकाश मेहतो मूल निवासी ग्राम तैगरा थाना तैगरा जिला बेगूसराय बिहार हाल पता निशान्त कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

दिल्ली से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में थाना आदर्श विहार दिल्ली में मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है, अभियुक्त मंजेश के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर लूट के इरादे से हत्या करने का 01 अभियोग, घर में चोरी करने के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 01.05.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1.गुलजार पुत्र शमशाद निवासी पीर वाली गली प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद 2.साहिल पुत्र इकबाल निवासी थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना दयालपुर दिल्ली पर 01 अभियोग पंजीकृत है। उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा 317(2)/317(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल हम दोनों ने कुछ दिन पहले दयालपुर दिल्ली से चोरी की थी। जिसे हम बेचने की फिराक में थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता-

1. गुलजार पुत्र शमशाद निवासी पीर वाली गली प्रेम नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।
2. साहिल पुत्र इकबाल निवासी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में अभियुक्त गुलजार के विरुद्ध लूट के 02 अभियोग, मारपीट का 01 अभियोग तथा थाना लोनी पर डकैती की योजना बनाने का 01 अभियोग, लूट के प्रयास का 01 अभियोग व आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग (कुल अभियोग 07) पंजीकृत है। अभियुक्त साहिल पर थाना साहिबाबाद पर लूट का 01 अभियोग व गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग (कुल अभियोग 03) पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस ASSPL से खरीदे गये प्रोडक्ट को बिना वापस किये साइबर फ्रॉड करके उसके रिफण्ड मूल्य का कल्याण ज्वैलर्स के गिफ्ट वाउचर प्राप्त कर वाउचर से गोल्ड प्राप्त करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी, घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन बरामद।

श्री शर्वीन कुमार निवासी रोहतक हरियाणा के साथ उनकी कम्पनी के गाजियाबाद स्थित वेयरहाउस से ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस ASSPL में विभिन्न नामों, मोबाइल नम्बरों एवं अलग-अलग पतों का उपयोग करके विभिन्न ऑर्डर कर, उत्पाद प्राप्त कर तथा बाद में इनके सिस्टम को हैक कर उत्पाद को वापस किये बिना विभिन्न तिथियों पर धोखाधड़ी पूर्वक उन उत्पादों के रिफण्ड ले लेने की साइबर फ्रॉड की घटना हुई। उपरोक्त घटना में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा विवेचना के क्रम में उपरोक्त अभियोग में इस साइबर फ्रॉड की घटना करने वाले हरियाणा राज्य के गैंग के सदस्य शुभम सोनी पुत्र सतीश सोनी एवं हिमांशु मित्तल उर्फ मोनू मित्तल पुत्र मनोज कुमार मित्तल को थाना क्षेत्र कोतवाली नगर गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि अभियुक्त शुभम सोनी, भिवानी में अकाउण्टेंट का काम करता था। उसकी दोस्ती हिमांशु मित्तल उर्फ मोनू मित्तल से थी। हिमांशु मित्तल उर्फ मोनू मित्तल के फतेहाबाद हरियाणा निवासी दोस्त प्रेम झांगर ऑनलाइन फ्रॉड का काम करता था । प्रेम झांगर ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस ASSPL पर यूजर आईडी बनाकर प्रोडक्ट खरीद कर, बिना प्रोडक्ट वापस किये साइबर फ्रॉड कर उसके रिफण्ड मूल्य का कल्याण ज्वैलर्स के गिफ्ट वाउचर प्राप्त कर इन वाउचर को रिडीम कर गोल्ड प्राप्त करता था। शुभम सोनी व हिमांशु मित्तल ने अपने तथा कई लोगों की ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस ASSPL पर यूजर आईडी के माध्यम से प्रेम झांगर तथा उसके दोस्त दीपक उर्फ दीपू एवं पुनीत, निखिल के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया। शुभम सोनी तथा हिमांशु मित्तल को

कल्याण ज्वैलर्स के गिफ्ट वाउचर कल्याण ज्वैलर्स के स्टोर पर जाकर रिडीम करके वाउचर के बदले गोल्ड लेकर प्रेम झांगर को देते थे, इसके बदले में प्रेम झांगर इन लोगों को 10 प्रतिशत राशि कैश में देता था। बरामद साक्ष्य से हिमांशु मित्तल द्वारा साइबर फ्रॉड कर लगभग 67 लाख रुपये के तथा शुभम सोनी द्वारा लगभग 15 लाख रुपये के कल्याण ज्वैलर्स के गिफ्ट वाउचर को रिडीम कर गोल्ड प्राप्त करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अन्य उत्पादों के बारे में इनसे बरामद मोबाइल फोनों का अवलोकन कर जानकारी कर साक्ष्य संकलित किये जा रहे हैं।

अभियुक्त फतेहाबाद हरियाणा निवासी प्रेम झांगर, दीपक उर्फ दीपू, निखिल तथा पुनीत की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शुभम सोनी पुत्र सतीश सोनी निवासी हर्जिका कुआँ, कीतन पाना, थाना भिवानी शहर जनपद भिवानी हरियाणा उम्र करीब 28 वर्ष, शिक्षा – एलएलबी।
2. हिमांशु मित्तल उर्फ मोनू मित्तल पुत्र मनोज कुमार मित्तल निवासी म0नं0 31, के एम कॉलोनी, घण्टाघर थाना भिवानी शहर भिवानी हरियाणा उम्र करीब 33 वर्ष, शिक्षा – इण्टरमीडिएट।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।